

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या-3/2017/2-ई.एम./2009-का-4-2017
लखनऊ : दिनांक : 27 जुलाई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न सेवा संघों की मांगों पर विचार-विमर्श हेतु श्री संजय अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक समिति गठित किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा:-

- (1) श्री संजय अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन अध्यक्ष
 - (2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, 30प्र0 शासन सदस्य
 - (3) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, 30प्र0 शासन सदस्य
 - (4) मांग विशेष से संबंधित प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव, 30प्र0 शासन सदस्य
2. उपरोक्तानुसार गठित समिति विभिन्न सेवा संघों से उनकी मांगों के संदर्भ में विचार-विमर्श करेगी तथा समस्त पहलुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समस्याओं का निराकरण करायेगी एवं यथावश्यकता अपनी संस्तुति मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत करेगी।
3. परिसंघ (फेडरेशन) तथा महासंघ (कनफेडरेशन) की मांगों पर समिति की बैठकों का आयोजन कार्मिक विभाग द्वारा किया जायेगा तथा किसी विभाग विशेष के कर्मचारियों के संघ (एसोसिएशन) की मांगों के संबंध में कार्यवाही संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा की जायेगी। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर मांग विशेष को कार्मिक विभाग के माध्यम से उपरोक्तानुसार गठित समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकेगा।

राजीव कुमार
मुख्य सचिव

संख्या-2-ई.एम./2009(1)-का-4-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्री संजय अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, 30प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, 30प्र0 शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, 30प्र0 शासन।
5. मान्यता प्राप्त सेवा संघ के महासचिव।

आज्ञा से,

दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव